भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 252

दिनांक 3 फरवरी, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात में वृद्धि

252. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः:

(क) क्या हाल के समय के दौरान निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त वृद्धि कब दर्ज की गई;

(ग) क्या सरकार ने निर्यात में वृद्धि करने के लिए कोई रूप रेखा तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख): मौजूदा वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों, अप्रैल–नवम्बर 2020 के दौरान भारत के समग्र निर्यात (व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं) का मूल्य पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 351.83 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 304.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 13.45 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। इस अवधि के दौरान भारत का समग्र निर्यात सितम्बर 2019 में 43.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में सितम्बर 2020 में 44.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 3 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। दिसम्बर, 2020 में व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात 27.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था; जो पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 0.14 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

(ग) और (घ): नीति निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और विद्यमान आर्थिक परिदृश्य के आधार पर कदम उठाए जाते हैं। निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदम निम्नलिखित हैंः

1) कोविड–19 महामारी की स्थिति के कारण विदेश व्यापार नीति (2015–20) की वैधता एक वर्ष अर्थात् 31.3.2021 तक बढ़ा दी गई है।
2) शिपमेंट से पहले और बाद में रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण योजना भी एक वर्ष अर्थात् 31.03.2021 तक बढ़ायी गयी है।
3) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) की एक नई स्कीम दिनांक 01.01.2021 से शुरू की गई है।
4) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा एफटीए उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।
5) कृषि, बागवानी, पशुपालन, मात्स्यिकी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों से संबंधित कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु एक व्यापक ''कृषि निर्यात नीति'' का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

6) 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों के लिए विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने के द्वारा सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना और उसमें विविधता लाना।

7) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करने के द्वारा निर्यात हब के रुप में जिले को बढ़ावा देना, इन उत्पादों का निर्यात करने के लिए अड़चनों को दूर करना और जिले में रोज़गार पैदा करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करना।

8) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा देने हेतु विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।

9) कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए विविध बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में राहत उपायों के माध्यम से घरेलू उद्योग, विशेष रुप से एमएसएमई जिनका निर्यात में प्रमुख हिस्सा है, को सहायता देने के लिए पैकेज की घोषणा की गई है।

*****